(परिचालन बुलेटिन सं. 06/2026 के संशोधित अंक)

पूर्व मध्य रेल

परिचालन बुलेटिन सं 01/2026

Operating Bulletin No. 01/2026

ब्लॉक खंड में कोई गाड़ी असाधारण रूप से विलंबित होती है तो सामान्य एवं सहायक नियम 6.04 के अनुसार कार्यवाही किया जाना चाहिए। सामान्य एवं सहायक नियम 6.04 को पुनः उद्वित किया जा रहा है :–

असाधारण रूप से विलंबित गाड़ियॉ :–

यदि पिछले स्टेशन से, कोई सवारी गाड़ी साधारणतः निर्धारित समय से 10 मिनट के भीतर और माल गाड़ी 20 मिनट के भीतर वहाँ नहीं पहुँचती है तो अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर तुरंत इस बात की सूचना पिछले स्टेशन को और नियंत्रण कार्यालय को देगा। इसके बाद दोहरी (डबल) लाइन या बहु (मल्टीपुल) लाइनों पर, ब्लॉक सेक्शन के दोनों ओर के स्टेशन मास्टर, पास वाली लाइन या लाइनों पर ब्लॉक सेक्शन में किसी तरफ से भी आने वाली सभी गाड़ियों को तुरंत रोक देंगे और उपर्युक्त सतर्कता आदेश जारी करके ऐसी गाड़ियों के लोको पायलटों और गार्डों को चेतावनी देंगे और साथ ही विलंबित गाड़ी का पता ठिकाना और स्थिति मालूम करेंगे ।

स.नि. 6.04 :–

(1) (क) यदि कोई सवारी गाड़ी अपने निर्धारित आगमन समय से 10 मिनट एवं मालगाड़ी 20 मिनट के भीतर स्टेशन पर नहीं पहुँचती है तो, ब्लॉक सेक्शन के दोनों ओर के स्टेशन मास्टर ब्लॉक सेक्शन में कारण का पता लगाने एक रेल कर्मचारी को भेजेगा। दोहरी लाइन पर या यदि वहाँ अन्य पार्श्ववर्ती लाइन हों तो एक इंजन यदि उपलब्ध हो तो उसे इस उद्देश्य से उपयोग किया जा सकता है।

(ख) दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच किसी गाड़ी के बिलंबित होने पर नीचे लिखी प्रक्रिया अपनायी जाएगी :–

(i) यदि किसी कारणवश कोई गाड़ी 15 मिनट से अधिक खड़ी होती है तो इंजन के हैन्डब्रेक के अतिरिक्त इंजन/लोड के वैक्यूम/एयरब्रेक आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि ऐसा ठहराव होता है तो गाड़ी के रॉलर बियरिंग युक्त वाहनों की स्थिति में 150 में 1 का या उससे तीखी ढलान पर तथा रॉलर बीयरिंग युक्त वाहनों के अतिरिक्त वाहनों की स्थिति में 100 में 1 या उससे तीखी ढलान वाले खंडों पर अतिरिक्त सावधानियॉ बरती जायेगी :–

सवारी गाड़ी के गार्ड ब्रेकवान में हैन्डब्रेक का प्रयोग करेंगे और गिरती ढलान की तरफ के निकटवाले दो वाहनों के पहियों में स्प्रैग, लकड़ी का वेज या स्कॉच ब्लॉक यदि उपलब्ध हो, का प्रयोग करेंगे। मालगाड़ियों के संबंध में गाड़ी के न्यूनतम एक तिहाई वैगनों के या इंजन के पीछे 10 वैगनों तथा ब्रेकवान के अन्दर के 5 वैगनों (दोनों में जो अधिक हो) के हैन्डब्रेक गिरा दिये जायेंगे एवं गार्ड के ब्रेकवान का हैन्डब्रेक का भी प्रयोग किया जाएगा। विशेष प्रकार के वैगनों, जैसे बॉक्स, बी.ओ.बी.एस., बी.ओ.आई., बी.आर.एच., सी.आर.टी. इत्यादि पर जिसमें रॉलरबीयरिंग लगे हों, से युक्त गाड़ियों में उपरोक्त सावधानियों का पालन करते हुये विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(ii) जब गाड़ी के चलने की संभावना हो तो समुचित वैक्यूम/एयरप्रेशर पुनः बनाकर जैसी भी स्थिति हो, किया जाय तथा वैक्यूमब्रेक/एयरब्रेक का उपयोग स्प्रैग, लकड़ी का वेज या स्कॉच ब्लॉक हटाये जाने के तथा/अथवा हैन्डब्रेकों से मुक्त किया जाने के पूर्व किया जाय। तत्पश्चात गाड़ी चलाये जाने के लिये वैक्यूम/एयरब्रेक को मुक्त किया जाय।

(iii) लोको पायलट स्वयं या उसके निर्देश पर सहायक लोको पायलट इंजन के पिछले वैगनों के हैन्डब्रेक के उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होगा और गार्ड ब्रेकवान के भीतर के वैगनों के इसी प्रकार की कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होगा।

(iv) गाड़ी की ब्रेकशक्ति की स्थिति का ध्यान रखते हुये लोको पायलट 150 में 1 अथवा 100 में 1 से अधिक समतल खंड में गाड़ी के ठहराव की अवधि में उसको लुढ़कने से बचने हेतु उपनियम (i) में दिये गये अतिरिक्त सतर्कता नियम का पालन करेंगे।

(2) जब दृश्यता बाधित हो या रात में यदि इंजन में अच्छे चालू हालत में हेडलाइट फिट नहीं है तो किसी गाड़ी को प्रस्थान की अनुमति तबतक नहीं दी जाएगी जबतक कि स्टेशन मास्टर को बिलंबित गाड़ी के गार्ड द्वारा यह लिखित सूचना नहीं मिल जाती है कि पार्श्ववर्ती लाइन अवरोध रहित है।

(3) नियंत्रित खंडों पर स्टेशन मास्टर नियंत्रण कार्यालय को तत्काल सूचित करेगा। ऐसी सूचना मिलने पर नियंत्रक द्वारा उन स्टेशनों को जहाँ चिकित्सा यान या चेस्ट हो, को शीघ्र चेतावनी देनी चाहिए कि अगली सूचना मिलने पर चिकित्सा यान या चेस्ट भेजने हेतु तैयार रखें। उसके बाद नियंत्रक को परिस्थिति से लगातार अवगत रहना चाहिए।

(4) दोहरी लाइन खंड पर यदि कोई सुरंग हो और गाड़ी का बिलंबन हो तो स्टेशन मास्टर तबतक गाड़ी को विपरीत दिशा में अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने से रोकेगा जबतक कि पहले वह लाइन का साफ होना सुनिश्चित नहीं कर लेता है। यदि ब्लॉक सेक्शन में कोई सुरंग नहीं है तो स्टेशन मास्टर विपरीत दिशा में जानेवाली प्रथम गाड़ी को अवश्य रोकेगा और लोको पायलट को परिस्थिति की लिखित सूचना देगा और सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने का निर्देश देगा।

(5) उन सवारी गाड़ियों के गार्ड जिनमें पोर्टबुल फिल्ड टेलीफोन सेट उपलब्ध हो, गाड़ी के ब्लॉक सेक्शन में 10 मिनट से अधिक बिलंब होने पर नियंत्रित खंडों पर नियंत्रक को कारण एवं संभावित बिलंबन की अवधि अवश्य सूचित करेगा। यदि संभव हो तो यह सूचना वॉकी–टॉकी सेट पर पार्श्ववर्ती स्टेशन को भी दिया जाना चाहिए।

"मंडलो को सलाह दी जाती है कि सर्व–संबंधित को तत्काल वितरित कर गाड़ियों के संरक्षित परिचालन हेतु सभी कर्मचारियों को काउंसिलिंग कर सजग करें ।"

MANOJ KUMAR RANJAN
Digitally signed by MANOJ KUMAR RANJAN
Date: 2026.01.27 15:57:22 +05'30'

(मनोज कुमार रंजन)
उप मुख्य परिचालन प्रबंधक (सामान्य)
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर
दिनांक– 27.01.2026

सं. ई.सी.आर./परि.सं./ऑपरेटिंग बुलेटिन/87/505

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ ।
2. मंडल रेल प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ ।
3. वरि. मं. परि. प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ ।
4. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर और भूली को सूचनार्थ ।